छत्तीसगढ़ शासन

सत्यमेव जयते

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2025-26

छत्तीसगढ़ मछली पालन विभाग

मछली पालन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
2025-26

मछली पालन विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 31.12.2025)

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग	-	मछली पालन विभाग
भारसाधक मंत्री	-	माननीय श्री रामविचार नेताम

सचिवालय

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव	-	श्रीमती शहला निगार (आई.ए.एस.)
उप सचिव	-	श्रीमती सूर्य किरण अग्रवाल

विभागाध्यक्ष

संचालक, मछली पालन विभाग	-	श्री नारायण सिंह नाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

मछली पालन विभाग, छत्तीसगढ़ वर्ष 2025-26 (दिसम्बर, 2025)

अनुक्रमणिका

विवरण	पृ.क्र.
भाग - एक	**01-11**
विभागीय संरचना	01
विभाग का स्वरुप एवं अधीनस्थ कार्यालय	02
विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	02-04
विभाग के दायित्व	05
विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	06-07
विभाग की प्रमुख विशेषताएं	08
महत्वपूर्ण सांख्यिकी वर्ष 2024-25	09-11
भाग - दो	**12-13**
बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	12
बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार)	13
भाग - तीन	**14-29**
अ. राज्य योजनाएं	14-21
ब. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	22
स. विश्व बैंक, विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं, एनएफडीबी	28
द. किसान क्रेडिट कार्ड, अन्य योजनाएं,	28
ई. छ.ग.लोक सेवा गारंटी नियम, सूचना का अधिकार नियम, न्यायालयीन प्रकरण	29
भाग - चार	**30**
सामान्य प्रशासनिक प्रकरण	30
भाग - पांच	**31-32**
अभिनव योजनाएं (प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, झींगा सह मछली पालन (पॉली कल्चर)	31-32
भाग - छः	**33**
विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	33
भाग - सात	**34**
सारांश	34

भाग - एक
विभागीय संरचना

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

उप सचिव
मछली पालन

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित

संचालक
मछली पालन विभाग

छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड

मुख्यालय

संयुक्त संचालक - 2
उप संचालक - 1
सहायक संचालक - 2
सहायक संचालक (सां) - 2
लेखा अधिकारी -1

राज्य स्तरीय

प्रशिक्षण संस्थान रायपुर
उप संचालक - 1
सहायक संचालक - 2

सहायक अनुसंधान अधिकारी - 1
मछली पालन
रायपुर (1)

जिला स्तरीय

उप संचालक, रायपुर
अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग,
जगदलपुर (5)

सहायक संचालक -
सूरजपुर, बलरामपुर-रामचंद्रपुर, कोरिया,
मनेन्द्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी, जशपुर, रायगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़, कोरबा, मुंगेली, बलौदाबाजार-भाटापारा,
गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, सक्ति, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव,
मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, महासमुंद, धमतरी,
कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा,
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (28)

1.2 विभाग का स्वरूप (ढांचा) :-

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के अस्तित्व में आने के पूर्व से ही राज्य में मछली पालन विकास कार्यक्रम संचालित है। मछली पालन विकास के विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए विभाग में निम्नानुसार अमला स्वीकृत है :–

मछली पालन विभाग में श्रेणीवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्त पद
1.	प्रथम श्रेणी	10	09	01
2.	द्वितीय श्रेणी	37	25	12
3.	तृतीय श्रेणी	506	320	186
4.	चतुर्थ श्रेणी	312	177	135
	योग	**865**	**531**	**334**

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण -

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर का ढांचा (स्वरुप) :-

यह प्राथमिक मछुआ सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है, जिसका प्रमुख कार्य ब्रूडबैंक एवं अन्य हैचरियों से उन्नत प्रजातियों का मत्स्य बीज उत्पादन कर मत्स्य पालकों में विक्रय करना तथा सहकारिता के माध्यम से मत्स्य पालन विकास किया जाना है।

श्रेणीवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी :-

क्र.	श्रेणी	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	रिक्त पद
1.	प्रथम श्रेणी	03	0	03
2.	द्वितीय श्रेणी	07	02	05
3.	तृतीय श्रेणी	27	06	21
4.	चतुर्थ श्रेणी	78	26	52
	योग	**115**	**34**	**81**

छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य (सहकारी) मत्स्य महासंघ का गठन कार्यालय सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. के पंजीयन क्रमांक 213/भोपाल दिनांक 30.10.2000 से हुआ है। यह प्राथमिक मछुआ सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है, जो मत्स्य संस्थाओं के सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है।

वर्तमान में मत्स्य महासंघ के अधीन 13 सिंचाई जलाशय (कुल जलक्षेत्र 39035.75 हैक्टर) उपलब्ध है। वर्ष 2014–15 में मछली पालन नीति में संशोधन कर 1000 हैक्टर से बड़े जलाशय मत्स्य महासंघ को रायल्टी आधार पर मछली पालन हेतु सौंपे गए हैं। पंगेशियस मत्स्य पालन, मांगुर, झींगा पालन तथा मेजर कार्प पालन एवं प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का भी महासंघ द्वारा

क्रियान्वयन किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को ताजी मत्स्य प्राप्त हो इस हेतु तेलीबांधा, रायपुर में रिटेल आउटलेट 2014–15 से संचालित की जा रही है। मत्स्य महासंघ के जलाशयों से वर्ष 2023–24 में 2620.88 में. टन एवं 2024–25 में 3362.40 में.टन एवं 2025–26 (दिसम्बर 2025 तक) में 1545.91 मे. टन मत्स्य उत्पादित हुई। जलाशयों की निविदा से प्राप्त रायल्टी कर 12.5 प्रतिशत् बोनस के रुप में मत्स्याखेट करने वाले व्यक्ति को प्रदाय किया जाता है।

वर्तमान में मत्स्य महासंघ के पास निम्न जलाशय तथा प्रक्षेत्र है :-

क्र.	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र	क्षेत्रफल हैक्टर
1	देमार (जिला–धमतरी)	26.50
2	सेलूद (जिला–दुर्ग)	10.50
3	खुटांघाट (जिला–बिलासपुर)	2.12
4	एतमानगर (जिला–कोरबा)	1.50
5	दुधावा (जिला–कांकेर)	5.00
	योग	**45.62**

क्र.	जलाशय	जलक्षेत्र हैक्टर
1	दुधावा (जिला–कांकेर)	2511.00
2	माड़मसिल्ली (जिला–धमतरी)	1367.00
3	सिकासेर (जिला–गरियाबंद)	1174.00
4	मनोहर सागर (जिला–राजनांदगांव)	2518.00
5	कोडार (जिला–महासमुन्द)	2050.00
6	खरखरा (जिला–बालोद)	1875.00
7	तांदुला (जिला–बालोद)	2275.00
8	गोंदली (जिला–बालोद)	1118.00
9	दर्री (जिला–कोरबा)	1333.75
10	खुड़िया (जिला–बिलासपुर)	1667.00
11	खूंटाघाट (जिला–बिलासपुर)	2712.00
12	हसदेव बांगो (जिला–कोरबा)	11500.00
13	गंगरेल (जिला–धमतरी)	6935.00
	योग	**39035.75**

1.4 छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड

छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (मछली पालन विभाग) के अधिसूचना क्रमांक एफ–6–12 / 36 / यो / 2013 दिनांक 09 मई 2013 के द्वारा मछुआ कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है तथा छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन विभाग के द्वारा बोर्ड अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गई है। बोर्ड मुख्यालय रायपुर में है।

बोर्ड का उद्देश्य :-

राज्य में मत्स्य विकास कार्यक्रम अपेक्षानुकूल हो एवं प्रदेश के परंपरागत वंशानुगत मछुआरों एवं अन्य वर्ग के मत्स्य पालकों के कल्याण एवं विकास संबंधी बिन्दुओं पर विचार करने, नई योजनाएं बनाने, पुराने कार्यक्रम में अपेक्षानुरूप परिस्थिति परिवर्तन करने तथा मत्स्य पालन से संबंधित अन्य विषयों पर प्रासंगिक सुझाव देना है। इसी प्रकार मछली पालन में शिक्षित युवाओं एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देने एवं ज्ञान, कौशल उन्नयन, मिश्रित खेती, प्रौद्योगिकीय एवं विपणन सशक्तीकरण के लिए उपायों की अनुशंसाएं देना। बोर्ड की प्रकृति विकासात्मक होगी तथा हितग्राहियों के विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिए होगी। मछुआ कल्याण बोर्ड स्वप्रेरणा से या अन्य प्रकार से मछुआरों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनके निराकरण हेतु सुझाव राज्य शासन को प्रेषित करेगा।

छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड स्टाफ पोजीशन की जानकारी :-

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत् पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	सचिव	01	—	01	—
2	तकनीकी सहायक	01	—	01	—
3	शीघ्रलेखक	02	—	02	—
4	स्टेनो टायपिस्ट / कम्प्यूटर ऑपरेटर	01	—	01	—
5	सहायक वर्ग –3	02	—	02	—
6	भृत्य	04	—	04	—
7	चौकीदार	01	—	01	—
	योग	**12**	**-**	**12**	

फुटकर मत्स्य विक्रय

1.5 विभाग के दायित्व

विभाग के निम्न कार्य दायित्व निर्धारित हैं :-

1. उपलब्ध जल संसाधनों को मछलीपालन अंतर्गत लाना तथा अतिरिक्त जलक्षेत्र का विकास करना।
2. आधुनिक तरीके से मत्स्यपालन कर मछली का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना। प्रोटीन युक्त आहार उपलब्ध कराना।
3. मछलीपालन व्यवसाय से ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना।
4. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के मछुआरों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति का उत्थान किया जाना।
5. कृषकों की स्वयं की भूमि में मत्स्य पालन हेतु तालाब में परिवर्तित करने हेतु प्रोत्साहित करना।
6. मत्स्य विपणन को सुदृढ़ करना, प्रशीतन इकाई एवं शीत श्रृंखला आदि की स्थापना।
7. मत्स्य बीज उत्पादन एवं निजी क्षेत्र में उत्पादकों को प्रोत्साहित करना।
8. सर्वांगीण विकास के लिए रिसरकुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक, केज कल्चर एवं झींगापालन को बढ़ावा देना।
9. आलंकारिक मत्स्यपालन को कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करना।
10. प्रदेश के मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु नयी मत्स्य प्रजातियों जैसे पंगेसियस सूची, मोनोसेक्स तिलापिया के उत्पादन एवं पालन को बढ़ावा देना।

मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी

1.6 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1.6.1 छत्तीसगढ़ में मत्स्य विकास

छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन विकास प्रगति पर है। राज्य में उपलब्ध जल संसाधन की दृष्टि से मछली पालन एक विशिष्ट स्थान रखता है। राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायवीय परिस्थितियां भी मछलीपालन हेतु उपयुक्त है। मछलीपालन अधिक आय, कम लागत और कम समय में सहायक व्यवसाय के रूप में ग्रामीण अंचलों में अत्यन्त लोकप्रिय है। यह ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने का सशक्त एवं रोजगारोन्मुखी साधन है। मछली पालन से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है, साथ ही मछली जैसे पौष्टिक खाद्य का उत्पादन बढ़ाकर कुपोषण को दूर किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा इस व्यवसाय से जुड़े मछुआरों के हित में अनेक कल्याणकारी निर्णय लिये गये है तथा उनका लाभ भी अधिक उत्पादन के रूप में परिलक्षित होने लगा है। राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन हेतु निम्नांकित संसाधन उपलब्ध हैः–

1.6.2 मत्स्य बीज उत्पादन के संसाधन

(जलक्षेत्र हैक्टर में)

क्र.	विवरण	चायनीज हैचरी		मत्स्य बीज प्रक्षेत्र		संवर्धन पोखर	
		संख्या	जलक्षेत्र	संख्या	जलक्षेत्र	संख्या	जलक्षेत्र
1	विभागीय	45	123.40	40	49.63	589	153.29
2	मत्स्य महासंघ	08	34.69	–	–	5	1.00
3	निजी क्षेत्र	70	183.50	62	113.40	3104	776.25
	योग	**123**	**341.59**	**102**	**163.03**	**3698**	**930.54**

1.6.3 मत्स्य उत्पादन के संसाधन

प्रदेश में मछली पालन के लिए 2.081 लाख हैक्टर जलक्षेत्र उपलब्ध है। जिसमें से अब तक 2.003 लाख हैक्टर जलक्षेत्र विकसित किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 96.25 प्रतिषत है। नदीय जलक्षेत्र लम्बाई 3573 किलोमीटर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	उपलब्ध जलक्षेत्र		मत्स्य पालन अन्तर्गत	
		तालाब संख्या	हैक्टर (लाख में)	तालाब संख्या	हैक्टर (लाख में)
1	ग्रामीण तालाब	1,35,110	1.255	1,21,670	1.202
2	सिंचाई जलाशय	1,770	0.826	1,635	0.801
	योग	**1,36,880**	**2.081**	**1,23,305**	**2.003**

1.6.4 राज्य में सघन मत्स्यपालन को लोकप्रिय बनाने तथा राज्य के कृषकों को सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक रूप से प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण सह प्रदर्शन इकाई की स्थापना जिला रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, बालोद, कबीरधाम, रायगढ़, राजनांदगांव, जांजगीर, महासमुन्द, धमतरी, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, कांकेर, बलौदाबाजार एवं दुर्ग में की गई।

1.6.5 राज्य की राजधानी रायपुर में एक विशाल मत्स्यालय भवन स्थापित किए जाने का कार्यक्रम भी लिया गया है। इस हेतु वर्ष 2009–10 तक रू. 70.00 लाख 'लोक निर्माण विभाग' में जमा कियें जा चुके हैं, मत्स्यालय जंगल सफारी, नया रायपुर में निर्मित किये जाने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण कार्य निर्माण एजेंसी, लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारंभ होगा। वर्ष 2023–24 में रुपयें 50.00 लाख, 2024–25 में रुपयें 95.00 एवं 2025–26 में रुपयें 1.00 लाख लोक निर्माण विभाग को प्रावधानित।

1.6.6 मत्स्य कृषकों को उल्लेखनीय मत्स्य पालन कार्य हेतु ''श्रीमती बिलासा देवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार'' प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023–24 में अचार संहिता के कारण पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया एवं वर्ष 2024–25 में श्री विनोद दास, पिता श्री बिसम्बर दास, ग्राम–कोसरंगी, वि.ख.–आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.) एवं 2025–26 में श्री सुखदेव दास, पिता–श्री पंचानंन दास, ग्राम–कोसरंगी, वि.ख.–आरंग, जिला–रायपुर (छ.ग.) को मत्स्य पालन में उत्कृष्ठ कार्य हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया।

1.6.7 राज्य के युवाओं को मछली पालन विषय पर उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से जिला–कबीरधाम में मात्स्यिकी महाविद्यालय 2010–11 में प्रारंभ। महाविद्यालय भवन बालक, बालिका छात्रावास निर्माण हेतु वर्ष 2017–18 में राशि प्रदाय की गई। वर्ष 2023–24 में रूपयें 700.10 लाख प्रदत्त, 2024–25 में रुपये 640.10 लाख एवं 2025–26 में रुपये 1700.00 लाख प्रावधानित है।

1.6.8 मात्स्यिकी शिक्षा में विस्तार के लिए द्वितीय पंक्ती के छात्र तैयार करने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 में 'फिशरीज पॉलीटेक्निक कॉलेज' धमधा, दुर्ग में प्रारंभ किया गया। वर्ष 2023–24 में रूपयें 100.00 लाख प्रदत्त एवं 2024–25 में रूपयें 50.10 लाख एवं 2025–26 में रूपयें 55.10 लाख प्रावधानित है।

1.6.9 राज्य के मछुओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु मछुआ कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 2013–14 में की गई।

पंगेशियस उत्पादन

1.7 विभाग की प्रमुख विशेषताएं

विभाग सामान्यतः निम्न उद्देश्यों से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है :-

1.7.1 मत्स्य कृषकों को उन्नत मत्स्य बीज उपलब्ध करवाना।

1.7.2 मत्स्य पालन की उन्नत तकनीक का ग्रामीण स्तर तक प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन हेतु विभागीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थल पर जा कर सलाह देना।

1.7.3 मत्स्य विकास के विभिन्न कार्यो हेतु विभिन्न वर्ग के हितग्राहियों को व्यवसायिक बैकों से ऋण उपलब्ध करवाना, के.सी.सी. प्रदान करवाना तथा अनुदान देना।

1.7.4 मछुआ कल्याण हेतु कल्याणकारी योजनायें यथा बीमा, बचत सह राहत, प्रदर्शन इकाई, एक्वाइंश्योरेंस आदि नई योजना संचालित करना।

1.7.5 200 हेक्टर औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय को मत्स्य विकास के अधिकार त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं को अतंरित कर विभिन्न योजनाओं हेतु हितग्राही चयन, प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता इत्यादि कार्य पंचायत के माध्यम से संचालित करवाना।

1.7.6 ग्रामीण तालाब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध करवाकर मछली पालन के साधन उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति हेतु कार्य करना तथा मत्स्योत्पादन में वृद्धि करना।

1.7.7 राज्य में उपलब्ध जलक्षेत्र को विकसित कर मछली पालन अन्तर्गत लाना। मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाना।

1.7.8 स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण करवाकर जलक्षेत्र का विस्तार कर मत्स्य विकास को बढ़ावा देना।

1.7.9 आधुनिक तकनिकी केज कल्चर, पॉण्ड लाइनर, आर.ए.एस., बायोफ्लॉक विधि के द्वारा मत्स्य विकास को बढ़ावा देना।

फिश फीड मिल

महत्वपूर्ण सांख्यिकी वर्ष 2024-25

क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि
1.	**जल संसाधन**		
1.1	**मछली पालन हेतु उपलब्ध जलक्षेत्र**	हैक्टर लाख में	2.039
1.2	सिंचाई जलाशयों का जलक्षेत्र	हैक्टर लाख में	0.826
1.3	ग्रामीण तालाबों का जलक्षेत्र	हैक्टर लाख में	1.213
2.	**मछली पालन अन्तर्गत जलक्षेत्र**	हैक्टर लाख में	1.983
2.1	सिचाई जलाशयों का जलक्षेत्र	हैक्टर लाख में	0.801
2.2	ग्रामीण तालाबों का जलक्षेत्र	हैक्टर लाख में	1.182
3.	**मत्स्य बीज उत्पादन के लिए उपलब्ध संसाधन**		
3.1	सरकुलर हैचरी	संख्या / हैक्टर	120 / 332.59
3.1.1	विभाग	संख्या / हैक्टर	44 / 120.40
3.1.2	मत्स्य महासंघ	संख्या / हैक्टर	08 / 34.69
3.1.3	निजी	संख्या / हैक्टर	68 / 177.50
3.2	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र	संख्या / हैक्टर	100 / 160.03
3.2.1	विभाग	संख्या / हैक्टर	38 / 46.63
3.2.2	मत्स्य महासंघ	संख्या / हैक्टर	—
3.2.3	निजी क्षेत्र	संख्या / हैक्टर	62 / 113.40
3.3	संवर्धन पोखर	संख्या / हैक्टर	3230 / 813.42
3.3.1	विभाग	संख्या / हैक्टर	589 / 153.29
3.3.2	मत्स्य महासंघ	संख्या / हैक्टर	05 / 1.00
3.3.3	निजी क्षेत्र	संख्या / हैक्टर	2636 / 659.13
4.	**मत्स्य बीज उत्पादन**		
4.1	स्पॉन	लाख	126976
4.1.1	विभाग	लाख	23756
4.1.2	मत्स्य महासंघ	लाख	6703
4.1.3	निजी	लाख	96517
4.2	**स्टे. फ्राई**	लाख	58358
4.2.1	विभाग	लाख	3117
4.2.2	मत्स्य महासंघ	लाख	704
4.2.3	निजी	लाख	54537
5.	**मत्स्य बीज संचयन (स्टेण्डर्ड फ्राई)**	लाख	18474
5.1	सिंचाई जलाशय	लाख	4179
5.2	नदियों	लाख	129
5.3	ग्रामीण तालाब	लाख	14166
6.	**मत्स्योत्पादन -**	(मे.टन)	873106
6.1	सिंचाई जलाशय	(मे.टन)	39685

क्र.	विवरण	इकाई	उपलब्धि
6.2	नदियों	(मे.टन)	10409
6.3	ग्रामीण तालाब	(मे.टन)	823012
7.	**मत्स्य उत्पादकता -**		
7.1	ग्रामीण तालाबों से	किग्रा/हैक्टर	4838
7.2	सिचाई जलाशयों से	किग्रा/हैक्टर	252
8.	**शिक्षण प्रशिक्षण -**		
8.1	10 दिवसीय प्रशिक्षण	संख्या	7200
8.2	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	संख्या	700
8.3	रीफ्रेशर कोर्स	संख्या	10000
9.	**मत्स्य पालन प्रसार -**		
9.1	झींगा पालन	इकाई	1472
9.2	मत्स्य बीज संवर्धन	तालाब	517
9.3	फुटकर विक्रेताओ को सहायता	हिग्राही	2281
9.4	तालाबों में फिंगरलिंग संचय	तालाब	7333
9.5	नाव जाल वितरण	हितग्राही	3418
9.6	ग्रोथ प्रमोटर क्रय	इकाई	995
9.7	नक्सल क्षेत्र में मत्स्य बीज संचय	तालाब	500
10.	**मछुआ सहकारी समितियों को सहायता**	समिति	226
11.	**मत्स्य जीवियों का दुर्घटना बीमा**	संख्या	220525
12.	**प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना -**		
12.1	नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निमार्ण।	हेक्टर	82.14
12.2	स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण।	हेक्टर	864.05
12.3	मीठे जल जलकृषि के लिए निवेश (इनपुट)।	हेक्टर	864.05
12.4	जलाशयों में पिंजरों (केज कल्चर) की स्थापना।	संख्या	1150
12.5	बड़े आर.ए.एस. की स्थापना।	संख्या	02
12.6	छोटे आर.ए.एस. की स्थापना।	संख्या	42
12.7	बैक्यार्ड सजावटी मछली पालन इकाई।	संख्या	01
12.8	न्यनम 10 टन क्षमता का संयत्र/भंडारण।	संख्या	02
12.9	न्यनम 50 टन क्षमता का संयत्र/भंडारण।	संख्या	01
12.10	सजीव मछली वेंडिग केंद्र।	संख्या	44
12.11	फीड मिल (उत्पादन क्षमता 08 टन/दिन)।	संख्या	02
12.12	बायोफ्लॉक पॉण्ड निर्माण (पी. लाइनर)।	संख्या	115
12.13	नाव जाल वितरण।	संख्या	20
12.14	प्रशीतित वाहन (रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स)।	संख्या	02
12.15	थ्री व्हीलर सह आईस बॉक्स।	संख्या	14
12.16	मोटर साइकिल सह आईस बॉक्स।	संख्या	42
12.17	बचत सह राहत	संख्या	925

13. मछुआ सहकारिता

क्र.	श्रेणी	पुरूष वर्ग		महिला वर्ग		कुल योग	
		समिति संख्या	सदस्य	समिति संख्या	सदस्य	समिति संख्या	सदस्य
1	सामान्य वर्ग	1182	40451	41	938	1223	41389
2	अनुसूचित जनजाति	413	15859	33	788	446	16647
3	अनुसूचित जाति	153	4879	18	365	171	5244
	योग	**1748**	**61189**	**92**	**2091**	**1840**	**63280**

खदान में केज कल्चर

भाग - दो

2.1 बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

(अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025)

(रुपये लाख में)

घटक		बजट प्रावधान		व्यय	
		आयोजनेत्तर	आयोजना	आयोजनेत्तर	आयोजना
सामान्य क्षेत्र	16 – मछली पालन	4677.53	5159.74	2868.79	3175.28
	80 – त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	5627.00	0	447.74
	67 – लोक निमार्ण कार्य– भवन	0	1.00	0	0
	54 – कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय)	0	1755.10	0	0
	योग :-	**4677.53**	**12542.84**	**2868.79**	**3623.02**
आदिवासी क्षेत्र	41 – आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	0	2933.29	0	1879.69
उपयोजना	82 – आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	3254.40	0	723.39
	योग :-	**0**	**6187.69**	**0**	**2603.08**
विशेष घटक योजना	64 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	0	15.47	0	6.60
	15 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0	1319.66	0	419.56
	योग :-	**0**	**1335.13**	**0**	**426.16**
	महायोग :-	**4677.53**	**20065.66**	**2868.79**	**6652.26**

टीप :- 1. सामान्य क्षेत्र में मांग संख्या-67 लोक निर्माण कार्य की राशि 1.00 लाख सीधे लोक निर्माण विभाग को प्रावधानित है।

स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण

भाग - दो

2.2 योजनावार लक्ष्य, बजट प्रावधान एवं व्यय

(अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025)

(रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय प्रावधान	व्यय
1	2	3	4	5	6
अ.	**राज्य योजनाएं**				
1.	मत्स्यबीज उत्पादन (स्टे. फ्राई)	करोड़	597.00	835.00	323.43
2.	जलाशयो तथा नदियों में मत्स्योद्योग का विकास (समस्त स्त्रोतो से)	मे. टन	9,56,875	426.00	18.78
3.	मत्स्यपालन प्रसार (हितग्राही)	संख्या	20,293	1199.00	680.54
4.	मछुआ सहकारी समिति को अनुदान (समिति)	संख्या	294	439.01	133.26
5.	शिक्षण–प्रशिक्षण (हितग्राही)	संख्या	17,900	361.16	248.48
6.	मत्स्यालय एवं अनुसंधान + लो.नि.वि.	जिले	05	26.00	2.84
7.	श्रीमती बिलासा देवी केंवट मत्स्य विकास पुरस्कार योजना	संख्या	01	1.00	1.00
8.	मत्स्य महाविद्यालय हेतु अनुदान	संख्या	01	1700.00	0.00
9.	मछुओं को मत्स्य पालन में वृद्वि / बीमारी / प्रबंधन हेतु सहायता	तालाब	90	5.00	0.00
10.	कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय	संख्या	01	55.10	0.00
11.	डाटाबेस एण्ड इन्फारमेशन नेटवर्किंग फार फिशरीज सेक्टर	जिले	11	39.20	11.57
12.	जिला स्तरीय अमला	वाहन	08	80.00	43.23
	योग			**5166.47**	**1463.13**
ब.	**केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं**				
1.	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (हितग्राही)	संख्या	11,359	14713.95	5118.59
2.	मछुओं का दुर्घटना बीमा (राज्य 40% केन्द्र 60%) (हितग्राही)	संख्या	2,20,525	185.24	70.54
	योग			**14899.19**	**5189.13**
	योग (अ + ब)			**20065.66**	**6652.26**

मछली बीज उत्पादन

भाग - तीन

राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना

3.1 राज्य पोषित योजनाएं

3.1.1 मत्स्य बीज उत्पादन :- मछली पालन हेतु मछली बीज मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश मे उपलब्ध जल संसाधन में मछली पालन के लिए वर्ष मे कुल 198.04 करोड़ स्टैण्डर्ड फ्राई की आवश्यकता है। जिसके लिए राज्य में दिसम्बर 2025 तक कुल 585.43 करोड़ स्टैण्डर्ड फ्राई का उत्पादन किया गया है। राज्य मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर है एवं पड़ोसी राज्यों को मत्स्य बीज निर्यात भी करता है। प्रदेश में तीव्र बढ़वार वाली 'पंगेशियस सूची/मोनोसेक्स तिलापिया' की 11.59 करोड़ फ्राई भी उत्पादित हो रही है।

मत्स्य बीज उत्पादन, विगत तीन वर्षो की जानकारी -

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	भौतिक		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	आबंटन	व्यय
2023–24	36,000	41,807	605.96	602.81
2024–25	54,600	58,358	655.45	651.11
2025–26 (दिसं. 25)	59,750	58,543	508.79	323.43

3.1.2 कैट फिश हैचरी निर्माण - राज्य में कैट फिश के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक पंगेशियस हैचरी, जिला–धमतरी, सातः मांगुर हैचरी (बालोद, कबीरधाम, बिलासपुर, कोरबा, कोण्डागांव, कोरिया, महासमुंद) में निर्मित हैं। दो मोनोसेक्स तिलापिया हैचरी रायपुर एवं बलौदाबाजार में निर्मित हैं। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग में एक मत्स्य बीज हैचरी, एक पंगेशियस हैचरी एवं एक मांगुर हैचरी कुल 03 नवीन हैचरी निर्मित। वर्ष 2023–24 में 1.05 लाख (कबीरधाम एवं कोण्डागांव जिले में), वर्श 2024–25 में 0.55 लाख (बिलासपुर एवं कोण्डागांव जिले में) एवं वर्ष 2025–26 (दिसम्बर 25 तक) 1.01 लाख (कोण्डागांव जिले में) मांगुर फ्राई का उत्पादन हुआ।

3.1.3 मत्स्य बीज हैचरी/प्रक्षेत्र निर्माण - राज्य को मत्स्य बीज उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2023–24 में रायपुर – 01, राजनांदगांव – 01, कांकेर – 02 कुल 04 हैचरी निजी क्षेत्र में निर्मित एवं शासकीय क्षेत्र में किकिरमेटा, दुर्ग में 01 हैचरी एवं वर्ष 2025–26 में शासकीय क्षेत्र में एक–एक नवीन मत्स्य बीज प्रक्षेत्र मोहला–मानपुर एवं सूरजपुर में निर्मित एवं 01 बलरामपुर, 01 मोहला–मानपुर तथा 01 खैरागढ़ में कुल 03 नवीन हैचरी स्वीकृत।

3.1.4 जलाशयों एवं नदियों में मत्स्योद्योग विकास - राज्य में कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 45.3 प्रतिशत हिस्सा जलाशयों का है। वर्तमान नवीन मछलीपालन नीति 2022 के तहत् 200 से 1000 हैक्टर जलक्षेत्र के सिंचाई जलाशय पट्टे पर देने एवं प्रबंधन के अधिकार विभाग को प्रदत्त किये गये हैं। नीति अनुसार त्रिस्तरीय पंचायतों को उनके कार्यक्षेत्र अंतर्गत स्थित 200 हैक्टर तक सिंचाई जलाशय स्थानीय मछुआरों को निर्धारित प्राथमिकता क्रम अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु पट्टे पर दिये जाने का प्रावधान है।

(मत्स्यबीज संचय लाख में)

वर्ष	जलाशयों में मत्स्य बीज संचय		एनीकट्स में मत्स्य बीज संचय	
	संख्या	मत्स्य बीज संचय	संख्या	मत्स्य बीज संचय
2023—24	26	106.30	185	234.653
2024—25	27	108.41	217	324.175
2025—26 (दिसं. 25)	02	5.59	—	—

राज्य में उपलब्ध जल संसाधन से मत्स्य बीज संचयन/मत्स्योत्पादन विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार है :—

3.1.5 राज्य का संचयन

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	भौतिक (स्टे. फ्राई)		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	आबंटन	व्यय
2023—24	15,322	15,472	आबंटन एवं व्यय नीचे मत्स्योत्पादन की जानकारी के साथ अंकित है।	
2024—25	18,421	18,474		
2025—26 (दिसं. 25)	19,804	17,880		

3.1.6 राज्य का मत्स्योत्पादन

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	भौतिक (मे.टन)		वित्तीय	
	लक्ष्य	उपलब्धि	आबंटन	व्यय
2023—24	7,26,428	7,81,343	340.00	339.95
2024—25	8,72,494	8,73,106	426.00	425.98
2025—26 (दिसं. 25)	9,56,875	7,15,054	426.00	18.78

3.1.7 प्रति हैक्टर औसत मत्स्योत्पादन विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार रहा

वर्ष	ग्रामीण तालाबों से	सिंचाई जलाशयों से
2023—24	4032	246
2024—25	4838	252
2025—26 (दिसं. 25)	5638	254

3.1.8 रोजगार सृजन (मानव दिवस लाख में)

विगत 03 वर्षों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में निम्नानुसार रोजगार सृजन किया गया है :-

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2023—24	260	368
2024—25	270	375
2025—26 (दिसं. 25)	280	378

3.1.9 मत्स्य सहकारिता

प्राथमिकता के आधार पर मछली पालन का कार्य मत्स्य सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। प्रदेश में मछली पालन से जुड़े मछुआरों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए एक हैक्टर से बड़े समस्त जलाशय मत्स्य सहकारी समितियों को पट्टे पर देने हेतु प्राथमिकता दी गई है। समितियों को मत्स्याखेट उपकरण, जलाशय पट्टा राशि, मत्स्य बीज क्रय आदि हेतु अनुदान दिया जाता है।

पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियां विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार रही :-

वर्ष	वर्ग	समिति संख्या	सदस्य संख्या
2023—24	पुरूष	1639	55300
	महिला	84	1984
	योग	**1723**	**57284**
2024—25	पुरूष	1748	61189
	महिला	92	2091
	योग	**1840**	**63280**
2025—26 (दिसं. 25)	पुरूष	1818	62305
	महिला	101	2388
	योग	**1919**	**64693**

3.1.10 मत्स्य सहकारी समिति को अनुदान

मत्स्य सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रति समिति रूपये तीन लाख का अनुदान, मत्स्य बीज, नाव जाल, लीज राशि जमा आदि कार्यों के लिए तीन वर्षों में प्रदाय किया जाता है। तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है :—

(लाभान्वित समितियां)

वर्ष	आबंटन	व्यय	समिति संख्या	सदस्य संख्या
2023—24	361.79	360.52	222	5,550
2024—25	378.57	376.19	226	5,650
2025—26 (दिसं. 25)	437.79	133.26	143	3,575

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ (मर्या.) को अनुदान के रूप में वर्ष 2023—24 में रूपये 150.00 लाख, 2024—25 में रूपये 150.00 लाख एवं 2025—26 में (दिसम्बर 25 तक) रूपये 60.00 लाख का अनुदान दिये जाने हेतु शासन से स्वीकृति अपेक्षित है।

3.1.11 मत्स्य सहकारी समितियों को जलाशय आबंटन

मछली पालन में मत्स्य सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विगत तीन वर्षों में समितियों को निम्नानुसार जलाशय/तालाब आबंटन किये गये।

वर्ष	तालाब/जलाशय		लाभान्वित समितियां	
	संख्या	जलक्षेत्र (हे.)	समिति संख्या	सदस्य संख्या
2023–24	639	2773	240	6000
2024–25	736	7631	335	8375
2025–26 (दिसं. 25)	285	1408	130	3250

मछुआ समूह/व्यक्तियों को भी तालाब/जलाशय पट्टे पर दिये गये।

विगत तीन वर्षो की जानकारी निम्नानुसार है -

वर्ष	तालाब/जलाशय		लाभान्वित मछुआ समूह, व्यक्ति	
	संख्या	जलक्षेत्र (हे.)	इकाई संख्या	सदस्य संख्या
2023–24	520	935	557	6684
2024–25	726	1097	663	7956
2025–26 (दिसं. 25)	389	443	368	4048

3.1.12 शिक्षण-प्रशिक्षण

3.1.12.1 मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण

विभाग के द्वारा सभी वर्गों (सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति) के मछुआरों को 10 दिवसीय मछली पालन प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रूपये 75/– प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता एवं निवास से प्रशिक्षण स्थान तक आने जाने का एक बार किराया अन्य व्यय रूपये 100/– तथा रूपये 400/– का नायलोन धागा निःशुल्क दिया जाता है। इस प्रकार प्रति प्रशिक्षणार्थी रूपये 1250/– व्यय का प्रावधान होता है। तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है :–

वर्ष	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (रूपये लाख में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	आबंटन	व्यय
2023–24	7300	7300	91.25	91.25
2024–25	7200	7200	90.00	90.00
2025–26 (दिसं. 25)	7200	5946	90.00	74.33

3.1.12.2 मछुओं का अध्ययन भ्रमण

सभी वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्य में अपनायी जा रही मछली पालन तकनीक से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के बाहर दस दिवसीय अध्ययन भ्रमण पर भेजा जाता है। उक्त प्रशिक्षण के दौरान आने–जाने का किराया रूपये 1,250/–, रूपये 1,000/– प्रति मछुआ के मान से प्रशिक्षण भत्ता तथा रूपये 250/– अन्य व्यय कुल रूपये 2,500/– प्रावधानित है।

तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है -

वर्ष	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (रूपये लाख में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	आबंटन	व्यय
2023–24	440	440	11.00	11.00
2024–25	700	700	17.50	17.50
2025–26 (दिसं. 25)	700	97	17.50	2.43

3.1.12.3 रीफ्रेशर कोर्स

सभी वर्ग के मछुओं को आधुनिक मछली पालन तकनीक से अवगत करवाने के लिए 03 दिवसीय रीफ्रेशर कोर्स 2014–15 से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में इकाई लागत रूपये 1,000/– है। 450 रूपये प्रशिक्षण वृत्ति, रूपये 550 क्षेत्रीय भ्रमण एवं आवागमन हेतु है।

तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है -

वर्ष	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (रूपये लाख में)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	आबंटन	व्यय
2023–24	10000	10000	100.00	100.00
2024–25	10000	10000	100.00	100.00
2025–26 (दिसं. 25)	10000	6619	100.00	66.19

3.1.12.3 विभागीय अधिकारियों का राज्य के बाहर प्रशिक्षण

विभाग के अधिकारियों को राज्य के बाहर स्थित राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में विषय विशेष के प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा कौशल उन्नयन (Skill Development) हेतु भेजा जाता है, विगत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में भेजे गए अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	अधिकारियों की श्रेणी	संख्या
2023–24	प्रथम	01
	द्वितीय	09
	तृतीय	27
2024–25	तृतीय	25
2025–26 (दिसं. 25)	तृतीय	25

छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर द्वारा भारत सरकार, DoPT द्वारा प्रायोजित वर्ष 2025–26 के Direct Training Skill एवं Design Of Training विषय पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें विभाग के प्रथम श्रेणी के 02, द्वितीय श्रेणी के 03 अधिकारियों द्वारा उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।

3.1.12.4 शिक्षण एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर)

राज्य में विभागीय मत्स्योद्योग प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में संचालित है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में प्रशिक्षण संस्थान को उन्नयन कर सहायक मत्स्य अधिकारी स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप मे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2006–07 से मान्यता प्रदान की गई है। एन.एफ.डी.बी एवं कौशल उन्नयन योजनान्तर्गत मछुवारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में 201, 2024–25 में 282 एवं 2025–26 में 175 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

3.1.12.5 विस्तार और प्रशिक्षण - वर्ष 2024–25 तक रायपुर, सरगुजा, बालोद, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, कबीरधाम, धमतरी, कांकेर, कोरबा, महासमुन्द, दंतेवाड़ा, बेमेतरा, बलौदाबाजार एवं राजनांदगांव में एक–एक इकाई स्थापित की गई है। इन इकाईयों में मछुओं को मछली पालन का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराया जाकर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन इकाईयों से आय अर्जित कर इनका संचालन किया जाना योजना के स्वरूप में सम्मिलित है।

3.1.13 अनुसंधान कार्यक्रम

सहायक अनुसंधान अधिकारी (मछली पालन) रायपुर इकाई

प्रदेश में मछली पालन के विभिन्न विषयों पर व्यावहारिक अनुसंधान शाला में मत्स्य पालन से सम्बंधित विभिन्न समस्याओं का निदान तथा नये कार्यों पर अनुसंधान किया जाता है, तथा ऐसे विषय का चयन किया जाता है जो मछली पालन को और ज्यादा व्यावहारिक बनाने तथा उसकी उपादेयता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सके। वर्ष 2023–24 में बालोद, कांकेर के 52 हितग्राहियों को एवं 2024–25 में बेमेतरा के 35 एवं बालोद के 17 हितग्राहियों को रुपये 5.00 लाख व्यय कर जियोलाइट टॉक्सीमार, प्रोबायोटिक्स वी–5, मिनरल मिक्चर बायोमैराइन, सेनेटाइजर बीमारी हेतु दवाई प्रदाय किया गया। विभिन्न जिलों को गम्बूसिया मछली का वितरण किया गया। वर्ष 2025–26 में अनुसंधान इकाई को प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनांतर्गत संचालित National Surveillance Programme For Aquatic Animal Diseases (NSPAAD) अंतर्गत संचालनालय मछली पालन विभाग से राशि रूपये 6,91,700.00 का बजट दिनांक 17.09.2025 को प्रदाय किया गया है, जिसके विपक्ष में Spot Agglutination Kit, Soil Testing Kit एवं Water Testing Kit क्रय कर नजदीकी जिलों के मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों एवं मत्स्य कृषकों को प्रदाय किया जावेगा।

निम्नलिखित कार्य अनुसंधान इकाई द्वारा किये जा रहे है :-

1. तालाबों/जलाशयों में समय–समय पर उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करना।
2. ग्रामीण तालाबों की मिट्टी एवं जल परीक्षण कर तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने एवं मछलियों में होने वाली बिमारियों को पहचान कर रोकथाम हेतु परामर्श दिया जाता है।
3. विभागीय मेला/प्रदर्शनी में अलंकारिक मत्स्य का प्रदर्शन किया जाता है।
4. ग्रामीण तालाबों में मछली बीमारी की रोकथाम हेतु दवाई एवं सैनिटाइजर प्रदाय की जाती है।

3.1.14 मत्स्यपालन प्रसार

3.1.14.1 झींगापालन (पॉलीकल्चर)

मत्स्य पालन प्रसार योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के मछुआरों को झींगा पालन एवं अलंकारिक मत्स्योद्योग के लिये अनुदान योजना का क्रियान्वयन किया गया है। योजना अन्तर्गत कृषकों को झींगा बीज, मछली बीज क्रय करने तथा खाद एवं खाद्य पदार्थों हेतु तीन वर्ष में अधिकतम रूपये 15,000/– अनुदान का प्रावधान है (प्रथम वर्ष – 7500/–, द्वितीय वर्ष –4965/–, तृतीय वर्ष – 2535/–) योजना में मत्स्य पालकों को नगद भुगतान न किया जाकर सामग्री (वस्तु विशेष) के रूप में दिया जाता है।

3.1.14.2 मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन - राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों के 0.50 हैक्टर के मौसमी तालाबों में शत–प्रतिशत् अनुदान पर स्पान संवर्धन कराकर फ्राई–फिंगरलिंग प्राप्त कर अतिरिक्त आय अर्जित करने के साथ ही राज्य में अतिरिक्त संवर्धन क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2007–08 में प्रथम बार लागू की गई। हितग्राही को तालाब की तैयारी, इनपुट्स एवं मत्स्य बीज आदि हेतु रुपये 30,000/– की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

3.1.14.3 नाव जाल अथवा जाल क्रय की सुविधा - राज्य में मछुआ हितग्राहियों को मत्स्याखेट उपकरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2007–08 में प्रथम बार लागू की गई। योजना अंतर्गत हितग्राहियों के लिए रूपये 7,000/– का जाल एवं रूपये 3,000/– की नाव अथवा रूपये 10,000 का जाल प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

3.1.14.4 फिंगरलिंग क्रय कर संचयन - तालाबों में मत्स्य कृषकों द्वारा छोटी साईज (25 एम.एम. से 30 एम.एम) का मत्स्य बीज 10,000 नग प्रति हैक्टर की दर से संचयन किया जाता है। यदि फिंगरलिंग साईज का मत्स्य बीज 5,000 नग प्रति हैक्टर की दर से संचय कर परिपूरक आहार आदि दिया जाए तो उत्पादकता में काफी वृद्धि होगी। उक्त योजना अंतर्गत मत्स्य कृषक को वस्तु विशेष के रूप में 10,000 नग मत्स्यबीज फिगरलिंग प्रति हैक्टर संचयन हेतु पांच वर्ष तक आर्थिक सहायता का प्रावधान है। प्रत्येक वर्ष रूपये 2,000/– की सीमा तक प्रति हैक्टर सहायता दी जाती है।

3.1.14.5 नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य बीज संचय - यह योजना वर्ष 2009–10 से नवीन रूप में लागू की गई है। योजनांतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम पंचायतों के ऐसे तालाब जिन्हे मत्स्य कृषक पट्टे पर लेने के इच्छुक नहीं है, उन तालाबों का चयन कर शत्–प्रतिशत् शासकीय व्यय से उनमें मत्स्य बीज संचयन कराया जाता है। योजना क्रियान्वयन से ग्राम वासियों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन मिलेगा साथ ही मत्स्योत्पादन में वृद्धि होगी। प्रत्येक वर्ष रूपये 1,750/– प्रति हैक्टर व्यय किया जाता है।

3.1.14.6 मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना - यह योजना वर्ष 2010–11 से नवीन रूप से लागू की गई है। योजना अंतर्गत सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ हितग्राहियों को आईस बाक्स, तराजू–बाट, आदि विक्रय उपकरण क्रय करने हेतु प्रति मछुआरा रूपये 6,000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

3.1.14.7 मत्स्य पालक हितग्राहियों के तालाब में प्लेंक्टान वृद्धि कर मछली उत्पादन बढ़ाना - राज्य में तालाबों की मत्स्य उत्पादकता बढ़ाने हेतु तालाबों में संचित मछली के आहार हेतु प्राकृतिक आहार प्लेंक्टान विकसित किये जाने के लिए वर्ष 2020–21 से नवीन योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत् तालाबों में प्लेंक्टान विकसित करने हेतु प्लेंक्टान ग्रोवर सामग्री पर प्रति हेक्टेयर लागत रु 7500/– आर्थिक सहायता के रुप में अनुदान दिया जाना स्वीकृत किया गया है।

मत्स्य पालन प्रसार योजना की घटकवार तीन वर्षो की प्रगति :-

घटक का नाम	इकाई	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसं. 25)	
		उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
मौसमी तालाबों में स्पान संवर्धन	तालाब	450	517	539	539
नाव–जाल अथवा जाल क्रय सुविधा	हितग्राही	3691	3418	2223	1619
फिंगरलिंग क्रय कर संचयन	तालाब	6430	7333	15223	7634
मछुआरों के लिए फुटकर विक्रय योजना	हितग्राही	1984	2281	1440	1104
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य बीज संचय	तालाब	500	500	500	483
ग्रोथ प्रमोटर क्रय	इकाई	990	995	–	–
झींगा पालन	इकाई	1712	1472	868	278
झींगा संचय	लाख	14.16	3.50	–	7.39
झींगा उत्पादन	किलोग्राम	67625	6065	–	1211
वित्तीय					
आबंटन	रूपये लाख	908.98	919.00	804.08	
व्यय	रूपये लाख	907.99	914.94	680.54	

3.1.15 तालाबों के जल मृद्रा प्रबंधन एवं मत्स्य वृद्धि करने तथा मत्स्य बीमारी रोकथाम हेतु उपयोगी सामग्री पर आर्थिक सहायता -

राज्य के मत्स्य उत्पादकों को तालाबों में मत्स्य उत्पादन अवधि के दौरान उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव में कमी के मृद्रा प्रबंधन एवं जल की गुणवत्ता बनाए रखकर उत्पादकता में वृद्धि एवं हितग्राही की आय में वृद्धि योजना का उद्देश्य है। इस हेतु हितग्राही को आवश्यक दवाईयां एवं जल तथा मृदा उपचार हेतु तीन वर्षो में रूपये 16500/– की आर्थिक सहायता प्रदान की जावेगीं। वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में प्रत्येक वर्ष रूपये 5.00 लाख व्यय हुए। वर्ष 2025–26 में रूपये 5.00 लाख प्रावधानित है। हितग्राही तीनों वर्ष क्रमशः 52, 52 एवं 0 हैं।

3.2 केन्द्रीय योजनाएं

विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन से प्रदेश के तालाबों में जलक्षेत्र आबंटन, संचयन, मत्स्योत्पादन की विगत तीन वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है :–

तालाबों का आबंटन

वर्ष	तालाबों का आबंटन (हैक्टर)		
	लक्ष्य	उपलब्धि	हितग्राही(सं)
2023–24	4225	2800	4942
2024–25	4225	4707	9414
2025–26 (दिसं. 25)	4255	1404	2808

मत्स्य बीज संचयन एवं मत्स्य उत्पादन -

वर्ष	मत्स्यबीज संचयन (स्टेंण्डर्ड फ्राई लाख)		मत्स्योत्पादन (मेट्रिक टन)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2023–24	10,812	11,146	6,81,518	7,35,360
2024–25	13,911	14,166	8,27,585	8,23,012
2025–26 (दिसं. 25)	15,303	14,457	9,10,342	6,81,364

3.2.2 राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना

3.2.2.1 समूह दुर्घटना बीमा योजना :-

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक घटक समूह दुर्घटना बीमा योजना है। मछली पालने/मछली पकड़ने एवं अन्य मत्स्य व्यवसाय के कार्य में संलग्न व्यक्ति जो 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग में हो। योजना क्रियान्वयन का 60:40 प्रतिशत केन्द्र शासन राज्य शासन द्वारा व्यय वहन किया जाता है। सभी वर्ग के बीमा योग्य मछुआरों का बीमा शत–प्रतिशत शासकीय अनुदान (राज्य शासन रू. 31.98/– तथा केन्द्र शासन रू 47.98/– हितग्राही कुल रूपये 79.96/–) पर कराया जाता है। बीमित व्यक्ति को दुर्घटना की स्थिति में मृत्यु या स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में रू. 5.00 लाख एवं स्थायी आंशिक अपंगता होने पर रू 2.50 लाख तथा हास्पिटल में भर्ती होने पर रू. 25000/– की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तीन वर्षो में बीमित मछुओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर 25)
1	सामान्य	107236	140452	140452
2	अनुसूचित जनजाति	51316	67021	67021
3	अनुसूचित जाति	10000	13052	13052
	योग	**168552**	**220525**	**220525**

विगत 05 वर्षों में 08 हितग्राहीयों की दुर्घटना जन्य मृत्यु होने पर 40.00 लाख रूपये एवं 01 हितग्राही की स्थायी अपंगता होने पर 2.50 लाख रूपये का भुगतान मत्स्यजीवियों के नामांकित सदस्य/उत्तराधिकारियों को किया गया है।

3.3 केन्द्र क्षेत्र योजनाएं-

3.3.2 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना -

मत्स्य पालन क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। भारत शासन द्वारा मात्स्यिकी क्षेत्र की क्षमता को साकार करने की दिशा के तहत् प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020–21 से लागू की गई है। योजना के तहत् विभिन्न घटकों की रुप रेखा तैयार की गई है। ताकि अंतरर्देशीय मत्स्य पालन एवं मत्स्य पालन के पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के व्यापक क्षेत्रों में किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। उक्त योजना राज्य में भी लागू की गई है। योजना वर्ष 2020–21 से वर्ष 2024–25 तक कुल 05 वर्षों के लिए राज्य में क्रियान्वित किया जाना है। योजना क्रियान्वयन के लिए 60 प्रतिशत् अंशदान भारत शासन द्वारा तथा 40 प्रतिशत् अंशदान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को इकाई लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत् तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला हितग्राहियों को 60 प्रतिशत् का अनुदान दिया जाता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत् मत्स्य पालकों को विभिन्न कार्यक्रमों में दी जाने वाली नियमानुसार योजना/कार्यक्रम के प्रावधान अंतर्गत अनुदान सहायता निम्नलिखित हैः–

1. **मीठे जल के नए फिनफिश हैचरीज की स्थापना** :- फिनफिश हैचरी रूपये 25.00 लाख प्रति इकाई लागत की न्यूनतम क्षमता 1.50 करोड़ फ्राई प्रतिवर्ष या 6.00 करोड़ स्पान प्रतिवर्ष होगी।
2. **नवीन ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण)** :- स्वयं की भूमि पर तालाबों के निर्माण हेतु रूपये 7.00 लाख प्रति हेक्टर इकाई लागत प्रति हितग्राही अधिकतम 2.00 हैक्टर की सीमा तक नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
3. **नवीन पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण** :- मत्स्य बीज संवर्धन तालाबों के निर्माण हेतु रूपये 7.00 लाख प्रति हेक्टर इकाई लागत प्रति हितग्राही अधिकतम 2.00 हैक्टर की सीमा तक नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
4. **मीठे जल जलकृषि के लिए निवेश (इनपुट) जिनमें कम्पोजिट मछली कल्चर, स्कैम्पी, पंगासियस, तिलापिया आदि शामिल है** :- तालाबों के निर्माण पश्चात् प्रारंभिक फसल के लिए इनपुट्स लागत हेतु रूपये 4.00 लाख प्रति हेक्टर इकाई लागत प्रति हितग्राही अधिकतम 2.00 हैक्टर की सीमा तक नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
5. **बैक्यार्ड सजावटी मछली पालन इकाई (ताजा जल)** :- रूपये 3.00 लाख प्रति इकाई लागत। इकाई की स्थापना हेतु न्यूनतम 150 वर्ग मीटर की खाली जमीन आवश्यक तथा सजावटी मछली के लिए शेड, प्रजनन, पालन एवं संवर्धन टैंक के निर्माण हेतु नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
6. **मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई (मीठे जल की मछली)** :- रूपये 8.00 लाख प्रति इकाई लागत है। इकाई की स्थापना में सजावटी मछली के लिए शेड, प्रजनन, पालन एवं संवर्धन टैंक के निर्माण हेतु नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

7. **एकीकृत सजावटी मछली इकाई (ताजा जल की मछली के लिए प्रजनन और पालन)** :- रूपये 25.00 लाख प्रति इकाई लागत पर इकाई की न्यूनतम क्षमता 1.00 लाख फ्राई प्रतिवर्ष होगी। इकाई की स्थापना हेतु न्यूनतम 500 वर्ग मीटर की खाली जमीन आवश्यक है।
8. **मध्यम आर.एस.एस. की स्थापना** :- रूपये 25.00 लाख प्रति इकाई (न्यूनतम 30 मीटर क्यूबिक/टैंक क्षमता और मछली उत्पादन 10 टन/फसल के 6 टैंकों के साथ)/बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मी व्यास और 1.50 ऊँचाई के 25 टैंक) लागत है।
9. **छोटे आर.एस.एस. की स्थापना** :- रूपये 7.50 लाख प्रति इकाई (100 क्यूबिक मीटर क्षमता के 1 टैंक के साथ/बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम (4 मीटर व्यास के 7 टैंक और ऊँचाई 1.5 मीटर) लागत है।
10. **जलाशयों में पिंजरों (केज) की स्थापना** :- रूपये 3.00 लाख प्रति केज लागत पर व्यक्तिगत हितग्राहियों के लिए अधिकतम 18 केज तथा स्व. सहायता समूह/समिति के लिए अधिकतम 20 केज हेतु नियमानुसार अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। जलाशय में न्यूनतम 8 मीटर गहराई तक वर्षभर पानी होना आवश्यक है।
11. **प्रशीतित वाहन (रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स)** :- रूपये 25.00 लाख प्रति इकाई लागत है। उपभोक्ताओं तक ताजी मछली पहुंचाने एवं मत्स्य विपणन हेतु प्रशीतित वाहन क्रय पर नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
12. **मोटर साइकिल सह आईस बॉक्स** :- रूपये 0.75 लाख प्रति इकाई लागत है। उपभोक्ताओं तक ताजी मछली पहुंचाने एवं मत्स्य विपणन हेतु आईस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल क्रय पर नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
13. **मछली वेंडिग के लिए ई-रिक्शा सहित आईस बॉक्स** :- रूपये 3.00 लाख प्रति इकाई लागत है। उपभोक्ताओं तक ताजी मछली पहुंचाने एवं मत्स्य विपणन हेतु ई–रिक्शा सहित आईस बॉक्स के साथ थ्री व्हीलर क्रय पर नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
14. **सजीव मछली विक्रय केंद्र** :- मछली एवं मत्स्य पालन से संबंधित वस्तुओं के परिवहन हेतु हितग्राहियों को रूपये 20.00 लाख प्रति इकाई लागत पर वाहन/दुकान हेतु नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
15. **मछली चारा मिल की स्थापना** :- बड़ी फीड मिल हेतु इकाई लागत रूपये 190.10 लाख (उत्पादन क्षमता 20 टन/दिन), मध्यम फीड मिल हेतु इकाई लागत रूपये 95.63 लाख (उत्पादन क्षमता 08 टन/दिन) तथा मछली फीड उत्पादन की कम से कम 100 टन/दिन की उत्पादन क्षमता की वृहद इकाई लागत रूपये 650.00 लाख प्रति इकाई हेतु नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

16. **बचत सह राहत** :- इस योजना के तहत् मछली पकड़ने पर रोक के तीन महिनों में मछुवारों को सहायता दी जाती है। मछुआरों से 09 माह में राशि रू. 1500/— बचत बैंक में जमा की जाती है। योजना क्रियान्वयन का 50 प्रतिशत् राज्य शासन एवं 50 प्रतिशत् केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजनान्तर्गत मछुआरों द्वारा 9 माह में अंशदान से रूपये 1,500/— तथा शासन द्वारा अंशदान रूपये 3,000/— कुल रूपये 4,500/—हितग्राही के नाम से जमा किए जाते है, जिन्हें बंद ऋतु के तीन माह में 1,500/—रूपये मासिक आर्थिक सहायता के रूप में हितग्राहियों को प्रदाय किये जाते हैं।

17. **जलाशयों में फिंगरलिंग संचय** :- जलाशयों से उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़े आकार का गुणवत्ता युक्त मत्स्य बीज फिंगरलिंग का संचयन करवाया जाता है। प्रति हैक्टर 1000 फिंगरलिंग की दर से संचयन के लिए रुपये 3000/— का प्रावधान है।

18. **बायोफ्लॉक तालाब निर्माण इनपुटस सहायता सहित (0.10 हेक्टर) इकाई लागत 14.00 लाख** :- मत्स्योत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं नवीनतम तकनीक के द्वारा 0.10 हेक्टर में नवीन तालाब निर्मित कर पॉलिथीन बिछाकार इनलेट आउटलेट व्यवस्था के साथ–साथ एयर ब्लोवर एरियेटर लगाया जाता है। उक्त निर्माण पर 10.00 लाख एवं 4.00 लाख इनपुट्स पर कुल 14.00 लाख व्यय किया जाता है। नियमानुसार अनुदान दिया जाता है।

झींगा पालन

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत वर्षवार प्रगतिः-

घटक का नाम	इकाई	2023-24	2024-25	2025-26 (दिसंबर 25)	
		उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1. मीठे जल के नए फिनफिश हैचरीज की स्थापना।	इकाई	03	0	01	01
2. नए पालन तालाबों (नर्सरी/बीज पालन) का निर्माण।	हेक्टर	43.20	82.14	40.50	40.50
3. नए ग्रो-आउट तालाबों का निर्माण (स्वयं की भूमि में नवीन तालाब निर्माण)।	हेक्टर	225.75	864.05	136.05	136.05
4. मीठे जल जलकृषि के लिए निवेश (इनपुट)	हेक्टर	225.75	864.05	136.05	136.05
5. बैक्यार्ड सजावटी मछली पालन इकाई।	संख्या	04	01	0	0
6. मध्यम स्केल सजावटी मछली पालन इकाई।	संख्या	02	0	0	0
7. बड़े आर.ए.एस. की स्थापना।	संख्या	0	02	0	0
8. छोटे आर.ए.एस. की स्थापना।	संख्या	50	42	05	05
9. जलाशयों में पिंजरों (केज) की स्थापना।	संख्या	1118	1150	942	942
10. प्रशीतित वाहन (रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स)।	संख्या	0	02	0	0
11. मोटर साइकिल सह आईस बॉक्स।	संख्या	0	42	0	0
12. मछली वेंडिग के लिए ई-रिक्शा सहित आईस बॉक्स।	संख्या	0	14	0	0
13. सजीव मछली वेंडिग केंद्र।	संख्या	25	44	10	10
14. फीड मिल (उत्पादन क्षमता 08 टन/दिन) का मध्यम मिल्स।	संख्या	01	02	0	0
15. फीड मिल (उत्पादन क्षमता 20 टन/दिन)।	संख्या	01	0	0	0
16. फीड मिल (उत्पादन क्षमता 100 टन/दिन) का वृहद मिल्स।	संख्या	0	0	01	01
17. बायोफ्लॉक पॉण्ड निर्माण (पी. लाइनर)	संख्या	70	115	203	203
18. न्यनम 10 टन क्षमता का संयत्र/भंडारण।	संख्या	01	02	0	0
19. न्यनम 20 टन क्षमता का संयत्र/भंडारण।	संख्या	01	0	0	0
20. न्यनम 50 टन क्षमता का संयत्र/भंडारण।	संख्या	01	01	0	0
21. नाव जाल वितरण।	संख्या	0	20	20	20
22. बचत सह राहत।	संख्या	10000	925	10000	5007
23. एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना।	संख्या	0	01	0	0
आबंटन (रूपये लाख में)	-	**8846.93**	**7475.32**	**6053.73**	
व्यय (रूपये लाख में)	-	**5050.26**	**6747.28**	**5118.59**	

केज कल्चर

जलाशयों एवं अन्य गहरे जलस्रोतों में अतिरिक्त उत्पादन लेने हेतु सघन मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक है ''केज कल्चर''। इस कार्यक्रम अंतर्गत 30 फीट से ज्यादा गहरे जलाशयों एवं बंद खदान जैसे जलक्षेत्र में 6x4x4 मीटर के ''फ्लोटिंग केज'' स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में प्रत्येक केज का आयतन 100 क्यूबिक मीटर होना अनिवार्य हैं तथा हितग्राही केज की आकार एवं आयाम आयताकार, वर्गाकार अथवा गोलाकार अनुरुप निर्धारित कर सकता है। इन केज में तीव्र बढ़वार वाली मछली जैसे 'पंगेशियस सूची' एवं 'मोनोसेक्स तिलापिया' आदि का गहन मत्स्य पालन किया जाता है। इस कार्यक्रम हेतु नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स, आर.के.वी.वाई., नील क्रांति, एन.एफ.डी.बी., डी.एम.एफ. एवं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना योजनाओं से 40 से 60 प्रतिशत् तक इकाई लागत रुपये 3.00 लाख पर अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। अब तक प्रदेश के 39 जलाशयों एवं 06 बंद खदानों में कुल 10117 केज इकाईयां स्थापित हो चुके हैं। प्रति केज 3000–5000 किलो मत्स्य अधिकतम उत्पादित होती है। उत्पादन लागत 60 से 70 रुपये प्रति किग्रा है। इस प्रकार प्रति केज औसत आमदनी रुपये 70,000/– वार्षिक होती है। प्रदेश में केज से वर्तमान में कुल 20,234 मे. टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादित हो रही है।

जलाशयों में केज स्थापना कर मछली पालन के माध्यम से मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की कार्ययोजना ली गई है। इन केज को व्यक्तिगत् हितग्राहियों को 5 केज से अधिकतम 18 केज स्थापित करने तथा समिति/समूहों को अधिकतम 72 केज स्थापित किये जाने का प्रावधान है।

केज कल्चर

3.4 विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाए विभाग में संचालित नहीं है।

3.5 विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं

विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं विभाग में वर्तमान में संचालित नहीं है।

3.6 अन्य योजनाएं :-

3.6.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड -

भारत शासन द्वारा गठित राष्ट्रीय मात्स्यिकीय विकास बोर्ड द्वारा शत–प्रतिशत् अनुदान पर मछुआरों के हितार्थ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2022–23 में 250 एवं 2023–24 में 500 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

3.6.2 किसान क्रेडिट कार्ड -

प्रदेश के मत्स्य पालकों को स्थानीय बैंक से सरल प्रकिया में ऋण/नगद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत शासन के दिशा निर्देश पर 'किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी)' उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। 31 दिसम्बर 2025 तक बैंकों को कुल 28,151 प्रकरण प्रस्तुत किये गए जिसके विपक्ष में कुल 5,389 किसान क्रेडिट कार्ड बनाये गए।

3.6.3 अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाएं -

मछली पालन विभाग द्वारा राज्य में अन्य विभागों द्वारा चलाए जा रहे योजना/कार्यक्रमों के माध्यम से मत्स्य पालन गतिविधियां संचालित की जा रही है। अन्य विभागों की योजनाओं के माध्यम से मछुओं को ऋण, अनुदान, समन्वित मत्स्य पालन, स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, प्रशिक्षण, इनपुट्स प्रदाय, स्व सहायता समूहों का गठन कर प्रत्यक्ष रोजगार तथा निर्माण कार्यों के माध्यम से अन्य रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। **वर्ष 2024-25 में किए गए कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :-**

योजना का नाम	कार्य का विवरण	इकाई संख्या	राशि (रू. लाख)	हितग्राही संख्या	रोजगार सृजन (मानव दिवस लाख में)
जिला खनिज न्यास निधि	तालाबों में मत्स्य बीज संचयन एवं परिपूरक आहार वितरण, बायोफ्लॉक निर्माण, मत्स्य बीज वितरण, नाव एवं जाल वितरण।	18	482.44	4880	0.437
आत्मा योजना	मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण, प्रदर्शन इकाई की स्थापना।	04	1.234	134	0.02
नमसा (कृषि विभाग)।	मत्स्य बीज संचयन कार्य।	01	3.00	30	0.03
चिराग योजना	मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण कार्य।	01	0.525	210	0.002
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना।	मत्स्य बीज, परिपुरक आहार एवं जाल प्रदाय।	01	8.270	110	0.01
रेनफेड एरिया डेवलपमेंट योजना।	मत्स्य बीज संचयन कार्य।	01	0.30	10	0.01

3.6.4 छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी नियम 2011 -

नियम अंतर्गत मछली पालन विभाग हेतु निर्धारित कार्यक्रमों के लिए प्राप्त एवं निराकृत आवेदनों की तीन वर्ष की प्रगति निम्नानुसार रही :–

कार्य का विवरण	2023-24 में निराकृत	2024-25 में निराकृत	2025-26 (दिसंबर 25 तक)		
			प्राप्त	निराकृत	लंबित
स्वत्व शुल्क आधार पर मत्स्याखेट हेतु आवेदन	15	0	0	0	0
तालाब पट्टे पर लेने हेतु आवेदन	638	969	1431	1374	57
शिक्षण प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए आवेदन	11018	11397	6394	5795	599
बीमित मछुओं की बीमा क्लेम तैयार कर प्रस्तुत	5	9	27	5	22
मछली पालन हेतु हितग्राहियों को ऋण प्रदाय	301	235	130	130	0
योग	**11977**	**12610**	**7982**	**7304**	**678**

3.6.5 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 -

अधिनियम अंतर्गत तीन वर्षों में प्राप्त आवेदनों की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025
1	प्राप्त आवेदन	343	550	494
2	स्वीकृत	336	494	490
3	अस्वीकृत	7	56	04
4	निराकृत	306	476	486
5	लंबित	30	18	04

3.6.6 न्यायालयीन प्रकरण :-

अप्रैल 2025 से दिसम्बर 2025 तक विभाग को कुल 28 न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हुए। चिन्हांकित समयावधि में कुल 21 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत किये गये एवं माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर से 08 प्रकरणों में निर्णय पारित किये गये।

महिला समूह द्वारा मत्स्य पालन

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक प्रकरण

विभागीय जांच

प्रथम श्रेणी के 03 अधिकारियों के प्रकरण पर कार्यवाही जारी है। द्वितीय श्रेणी के 04, तृतीय श्रेणी के 04 एवं चतुर्थ श्रेणी में 02 प्रकरण विचाराधीन है।

पदोन्नति

विभागीय पदोन्नति के प्रस्ताव निम्नानुसार शासन को प्रस्तुत किये गए है :

क्र.	पदोन्नति का विवरण	प्रेषित प्रस्ताव क्रमांक/दिनांक
1	सहायक संचालक से उप संचालक – 02 पद	1302 / 19.12.2025
2	सहायक मत्स्य अधिकारी से सहायक संचालक – 07 पद	1077 / 04.11.2025
3	सहायक सांख्यिकी अधिकारी से सहायक संचालक (सांख्यिकी) – 01 पद	1078 / 04.11.2025
4	**श्रेणीवार पदोन्नति :-**	
	तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी– 24	–

सेवानिवृत्ति

वर्ष 2025–26 में दिनांक 31 / 12 / 2025 तक 25 अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए।

क्र.	श्रेणी	संख्या
1	प्रथम	01
2	द्वितीय	07
3	तृतीय	13
4	चतुर्थ	04
योग		**25**

वर्ष 2025–26 में 31 / 12 / 2025 तक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के निरंक, तृतीय श्रेणी के 01 एवं चतुर्थ श्रेणी के 02 शासकीय सेवक दिवंगत हुए।

फुटकर मत्स्य विक्रय

भाग - पांच

अभिनव योजनाएं

5.1 प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना -

भारत शासन द्वारा मछली पालन के क्षेत्र को औपचारिक बनाने तथा मत्स्य पालन के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना राज्य में वर्ष 2023–24 से 2026–27 तक लागू की गई है। योजना के घटक निम्नानुसार हैं :–

1. **घटक (अ)** - मत्स्य पालन के क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए मत्स्य पालन में संलग्न व्यक्तिगत एवं संस्थागत इकाइयों को पंजीकृत कर पहचान क्रमांक आबंटित करना। इस हेतु एक डिजीटल प्लेटफार्म (नेशनल फिशरीज डिजीटल प्लेटफार्म) बनाया गया है। प्रत्येक स्व पंजियन पर रुपये 100/– की प्रोत्साहन राशि एवं सेवा प्रदाता के माध्यम से पंजियन पर रुपये 74/–हितग्राही को एवं जी. एस. टी सहित रुपये 26/– सेवा प्रदाता को भुगतान किये जाते हैं।

1. **घटक (ब) जलीय कृषि बीमा** - जलीय कृषि को बीमित करने हेतु एक बार प्रोत्साहन अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक हितग्राही को अधिकतम 4.00 हेक्टर पर रुपये 1.00 लाख की प्रीमियम सीमा पर रुपये 0.25 लाख अनुदान दिया जाता है।

2. **घटक** - मूल्य श्रृखला सुधार हेतु सूक्ष्म उद्यमों की सामान्य श्रेणी हेतु 25 प्रतिशत अधिकतम सीमा रुपये 35.00 लाख, तथा अनु. जन. जाति, अनु. जाति. एवं महिला श्रेणी हेतु 35 प्रतिशत अधिकतम रुपये 45. 00 लाख अनुदान दिया जाता है।

   इसी प्रकार ग्राम स्तरीय संगठन, एस.एच.जी., एफ.एफ.पी.ओ. और सहकारी समितियों के संघों को प्रदर्शन अनुदान कुल निवेश का 35 प्रतिशत (रुपये 200.00 लाख की सीमा तक) दिया जाता है।

3. **घटक** - मछली और मत्स्य उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता, आश्वासन प्रणालियों को अपनाना और विस्तार हेतु सूक्ष्म उद्यम के लिए प्रदर्शन अनुदान सामान्य श्रेणी के लिए निवेश का 25 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 35 लाख) तथा अनु.जन.जाति, अनु.जाति. और महिला हेतु 35 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 45 लाख) अनुदान दिया जाता है। छोटे उद्यमों हेतु निवेश का 25 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रुपये 75 लाख) सामान्य श्रेणी हेतु एवं 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रुपये 100 लाख) अनु.जन.जाति, अनु.जाति एवं महिला हेतु प्रावधानित है।

   इसी प्रकार ग्राम स्तरीय संगठन, एस.एच.जी., एफ.एफ.पी.ओ. और सहकारी समितियों के संघों के लिए निवेश का 35 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रुपये 200.00 लाख) प्रदर्शन अनुदान प्रावधानित है।

4. **घटक** - परियोजना प्रबंधन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिए परियोजन प्रबंधन इकाई स्थापित करन प्रावधानित है।

5.2 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान -

भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल हैं जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना हैं। यह अभियान आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और संतृप्ति को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित हैं। इस योजना के तहत हितग्राहीयों को 90 प्रतिषत तक अनुदान प्रदाय किया जाता है।

अभियान का मुख्य उद्देश्य :-

1. महली पालन हेतु सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण।
2. मत्स्य पालन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन।
3. योजनाओं के बारें में जागरुकता बढ़ाना और यह सुनिश्चि करना कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न हो ।

योजना के तहत् मत्स्य पालकों को विभिन्न कार्यक्रमों में दी जाने वाली नियमानुसार अनुदान सहायता निम्नलिखित है :—

1. **जलाशयों में केज की स्थापना** - रूपये 3.00 लाख प्रति केज लागत पर व्यक्तिगत हितग्राहियों के लिए अधिकतम 18 केज तथा स्व. सहायता समूह/समिति के लिए अधिकतम 20 केज हेतु नियमानुसार अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। जलाशय में न्यूनतम 8 मीटर गहराई तक वर्षभर पानी होना आवश्यक है।
2. **मोटर साइकिल सह आईस बॉक्स** - रूपये 0.75 लाख प्रति इकाई लागत है। उपभोक्ताओं तक ताजी मछली पहुंचाने एवं मत्स्य विपणन हेतु आईस बॉक्स के साथ मोटर साइकिल क्रय पर नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
3. **नाव जाल वितरण** - समितियों को मत्स्याखेट उपकरण विस्तार के तहत् मत्स्योत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु रूपये 5.00 लाख प्रति इकाई नियमानुसार अनुदान सहायता दी जाती है।
4. **सजीव मछली वेंडिग केन्द्र** - मछली एवं मत्स्य पालन से संबंधित वस्तुओं के परिवहन हेतु हितग्राहियों को रूपये 20.00 लाख प्रति इकाई लागत पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु नियमानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

5.3 झींगा सह मछली पालन (पॉली कल्चर) -

मत्स्य पालकों को मूल्यवर्धित उत्पाद प्राप्त कर अतिरिक्त आय अर्जित हो इस उद्देश्य से बस्तर संभाग में अनुसूचित जन जाति के मत्स्य पालकों हेतु झींगा सह मछली पालन (पॉली कल्चर) योजना 2025—26 में प्रारंभ की गई। योजना में रुपये 4.66 लाख प्रति हैक्टर इकाई लागत पर रुपये 2.82 लाख का अनुदान झींगा बीज, मछली बीज, मत्स्य आहार, तालाब की तैयारी आदि कार्य हेतु दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025—26 में 100 हैक्टर तालाब हेतु रुपये 2.80 करोड़ की राशि प्रावधानित है।

भाग - छः

विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार एवं प्रकाशन :-

1. 21 नवम्बर 2025 विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर 'मत्स्य कृषक संगोष्ठी' कार्यक्रम का आयोजन विवेकानंद सभागृह, कृषि महाविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जोरा, रायपुर में किया गया था। कार्यक्रम में सम्मलित मत्स्य कृषकों को मत्स्य पालन अन्तर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी प्रदाय की गई।

2. राज्य, जिला एवं विकासखण्डवार आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभागीय योजनाओं के पाम्पलेट, फोल्डर वितरीत किए गए।

3. मछली पालन के तकनीकी साहित्य के रूप मे पाम्पलेट तथा फोल्डर का प्रकाशन किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव वर्ष 2025 अंतर्गत मछली पालन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं अंतर्गत मत्स्य कृषक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कल्याणकारी योजनाओं से किसानों को अवगत कराते हुए झींगा पालन, तिलापिया कल्चर तथा पंगेसियस पालन के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदाय की गई। साथ ही इस कार्यक्रम में कृषकों को आदान सामाग्री अन्तर्गत महाजाल, ऑइस बॉक्स, झींगा बीज वितरण जनप्रतिनिधियों के समक्ष किया गया।

बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर

भाग - सात

सारांश

7.1 राज्य में वर्ष 2025–26 (माह दिसम्बर 2025 तक) कुल 585.43 करोड़ स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज उत्पादित हुआ। यह गत वर्ष से 1.85 करोड़ अधिक है।

7.2 प्रदेश में वर्ष 2025–26 में मत्स्योपादन की प्रगति 7,15,054 लाख मेट्रिक टन (75 प्रतिशत्) दिसम्बर 2025 तक रही।

7.3 आलोच्य वर्ष में (दिसम्बर 2025 तक) मछलीपालन कार्यो से 378 लाख मानव दिवस सृजित हुए।

7.4 मत्स्य व थोक व्यवसायिक विपणन हेतु जिला–दुर्ग में एक, बिलासपुर में एक, रायपुर में एक एवं जांजगीर में एक थोक मत्स्य बाजार निर्मित। रायपुर में एक फुटकर बाजार निर्मित।

7.5 उपभोक्ताओं को ताजी मछली प्राप्त हो इस हेतु रायपुर, भिलाई एवं खूंटाघाट में एक–एक 'हाईजीनिक रीटेल आउटलेट' स्थापित।

7.6 राज्य के मत्स्य कृषकों को सुलभ ऋण/नगद प्राप्त हो इस हेतु भारत शासन के निर्देशानुसार माह दिसंबर 2025 तक कुल 5,389 'किसान क्रेडिट कार्ड' बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए।

7.7 जलाशयों एवं बंद पड़ी खदानों से अतिरिक्त उत्पादन लेने हेतु अब तक कुल 10117 केज स्थापित।

7.8 उत्कृष्ठ मत्स्य पालन कार्य हेतु वर्ष 2025–26 में श्री सुखदेव दास, ग्राम – कोसरंगी, वि.ख. – आरंग, जिला – रायपुर (छ.ग.) को ''श्रीमती बिलासा देवी केंवट मत्स्य विकास'' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

7.9 राज्य के मछुआ व्यक्ति एवं संस्थाओं का एन.एफ.डी.पी पोर्टल पर पंजीयन किया गया। दिसंबर 2025 तक कुल 41,168 मछुआ व्यक्ति एवं संस्थाएं पंजीकृत।

संचालक
मछली पालन विभाग

संचालनालय मछली पालन

इंद्रावती भवन, चतुर्थ तल, बी-ब्लॉक, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

Ph. : 0771-2443124, e-mail : dirfishery.cg@nic.in

web - agriportal.cg.nic.in / fisheries